अपील सूचना अधिकार संख्या 94/2019 (RCMS 2019/00249) बृजलाल शर्मा पुत्र खेताराम शर्मा निवासी चक 5 एसडी, वार्ड नं. 06, तसहील सूरतगढ बनाम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.01.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बृजलाल शर्मा स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओं सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी बृजलाल शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकार एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. ग्राम पंचायत, पदमपुरा के वार्ड नं. 06 चक 5 एसडी में वाटर वर्क्स से पक्की सड़क होते हुए वीरमाना सम्पर्क सड़क तक पाईप लाईन सन् 2013–14 विधायक कोटे से मंजूर हुई थी और कितनी लगी?
2. वाटर वर्क्स से पक्की सड़क होते बीरमाना सम्पर्क सड़क तक के पूर्व में अग्रिम राशि कितनी ग्राम पंचायत ने उठाई, प्रतिलिपि देवें, वर्ष 2013–14 से
3. स्वच्छता अभियान के तहत वार्ड नं 6 में (चक 5 एसडी) में कितने शौचालय बनवाये, कितने लाभान्वित हुए, जिसकी प्रतिलिपि देवें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पदमपुरा प.स. सूरतगढ ने अपने पत्रांक एसपीएल—01/14.01.2020 से प्रार्थी को निम्न प्रकार से जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा दिनांक 14.08.2019 को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड उस वक्त उच्च अधिकारियों के पास जांच/अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवा दिया गया था। इस कारण ग्राम पंचायत के पास रिकॉर्ड की उपलब्धता नहीं होने के कारण आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी, जिसकी सूचना आपको मौखिक रूप से दे दी गई थी ।
>
> वर्तमान में ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड उपलब्ध है। आप किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर निर्धारित राशि जमा कर तीनों बिन्दुओं की सूचना प्राप्त कर सकते है।
>
> -sd-
> ग्राम विकास अधिकारी
> ग्राम पंचायत, पदमपुरा
> प.स., सूरतगढ़

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध ग्राम पंचायत पदमपुरा से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत की सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत अधिकृत है। **इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है। चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज जाती है। प्रार्थी चाही गई सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी सरपंच, ग्राम पंचायत पदमपुरा के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, पदमपुरा, तहसील सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर